

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

Agreement for large industrial consumer

**Applicable for consumers having connected load more
than 150 HP**

(HT form of agreement is to be executed where the metering is at consumer's premises and EHT Form of agreement is to be executed where the metering is at RVPN/Nigam's sub-station)

Preamble

This Agreement made this----- day of-----, 20---- between the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, (hereinafter called the 'Nigam' which expression shall where the context so admit include its successors in office and assigns) of the one part and ----- (hereinafter called the 'Consumer' which expression where the context so admits shall include his heirs, executors, administrators, legal representatives, successors in business and assigns, of the other part).

Where as the consumer has requested the Nigam to supply him with electrical energy at the consumer's premises situated at-----and indicated in red in the map attached hereto for purpose of----- and the Nigam has agreed to supply to the consumer such energy upon the terms and conditions hereinafter contained.

NOW IT IS HEREBY DECLARED AND AGREED AS FOLLOWS

- (1) The Nigam shall give supply to the consumer for industrial purpose, at the premises referred to above up to maximum demand of.....KVA (hereinafter called contract demand).
- (2) The electrical energy so supplied shall be of three phase, alternating current, at a declared voltage of _____ between phases and at a frequency of 50 (fifty) complete cycles per second at the terminals.
- (3) The point of supply as well as the metering point shall be at the Prasaran Nigam's / Nigam 's substation at _____.
(FOR EHT ONLY)

(4) This agreement shall subject as hereinafter provided, remain in force for a period of one year in the first instance commencing from the date of supply and shall remain in force till its termination.

Provided that either party shall be at liberty to terminate this agreement or get his contract demand reduced by giving one month's notice in writing in that behalf subject to completion of initial period of one year including notice period. The consumer can also get his connection permanently disconnected or get his contract demand reduced on the same day of notice if he is ready to pay the minimum billing/fixed charges amount equivalent to one month in lieu of one month's notice.

(5) The consumer has agreed to bear stamp duty on this agreement.

In witness whereof I, _____ (Name & designation) _____ on behalf of the Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd., and _____ (Name & designation) _____ on behalf of consumer, namely----- have hereunto set their signatures and the common seal the day, month & year first written above.

Signed by the above named in the presence of	Signature & Rubber Stamp of the authorized representative of the Nigam For & on behalf of Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.
1) (Name and Address).	
2) (Name and Address).	

Signed by the above named in the presence of	Signature & Rubber Stamp on behalf of consumer
1) (Name and Address).	
2) (Name and Address).	

The common seal is hereunto
affixed in the presence of

1) (Name and Address).

(Common seal of
the consumer)

b) (Name and Address).

Checklist for HT/EHT agreement to be executed by large industrial consumers

<u>Activity</u>	Yes/NO
(1) Agreement on Non-judicial stamp paper worth Rs. 10/- only	
(2) Name, designation, consumer name have been filled up	
(3) Consumer's signatures and two witnesses thereof	
(4) Consumer's Common seal in case of companies registered under companies act, otherwise rubber seal affixed and witness thereof.	
(5) Details of connected load duly verified by concerned sub-divisional officer	
(6) Site map indicating location of the premises duly marked with red ink the area of supply, duly verified by concerned sub-divisional officer.	
(7) Power of attorney (in case of partnership firms)	
(8) Resolution of Board of Directors & power of attorney (in case of companies)	
(9) Copies of this agreement- Complete sets (one original plus five copies)	

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director (Finance), Jaipur Discom, Jaipur (with 45 spare copies).
2. The Director (Technical), Jaipur Discom, Jaipur.
3. The Chief Engineer (O&M/MM), Jaipur Discom, Jaipur.
4. The Dy. Chief Engineer (RE&Plan), Jaipur Discom, Jaipur.
5. The Addl. Supdt. of Police (Vigl.), Jaipur Discom, Jaipur. (with 30 spare copies)
6. The Chief Personnel Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
7. The Chief Accounts Officer (ATR/FM&WM/IA), Jaipur Discom, Jaipur.
8. The Dy. Chief Engineer / Supdtg. Engineer (Power), RIICO, Jaipur.
9. The Supdtg. Engineer (), Jaipur Discom, _____.
10. The Secretary , Jaipur Discom, Jaipur.
11. The Sr. AO/AO/AAO (), Jaipur Discom, Jaipur.
12. The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____.
13. The Executive Engineer (), Jaipur Discom, _____,
alongwith 10 spare copies for sending the same upto AENs/JENs/AROs/
Accountants level under his jurisdiction.
14. The Executive Engineer (Elect.), J.D.A./R.H.B., Jaipur.
15. Executive Engineer (Griev.), Jaipur Discom, Jaipur.
16. The Company Secretary, Jaipur Discom/RRVPL, Jaipur.
17. The TA/PA to CMD, RVPN, Jaipur, Discom, Jaipur
18. TA/PA to CMD, Jaipur Discom, Jaipur.
19. PA to CMD, Jodhpur/Ajmer Discom, Jodhpur/Ajmer.

20. P.S. to Hon'ble Energy Minister, Rajasthan, Jaipur.
21. P.S. to Secretary (Energy), Govt. of Rajasthan, Jaipur.
22. The Public Relations Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
23. The Media Advisor, Jaipur Discom, Jaipur.
24. Sr. Accounts Officer (FP-5), A.G. Audit, Shed No.14/1 Jaipur.
25. Sr. Accounts Officer (CAW-III), A.G. Audit, Shed No.4/1, Jaipur.
26. The Asstt. Engineer (), Jaipur Discom, _____.
27. The Zonal Commissioner, Ombudsman, Mini Secretariat, Near Collectorate, Jaipur.
28. The Dy. Chief Engineer (IT&CRP), Jaipur Discom, Jaipur for putting up the order on the website of Discom.
29. _____

Chief Engineer (Comml

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

नये विद्युत सम्बन्ध(स्थाई/अस्थाई) के लिए/स्वीकृत भार बढ़ाने अथवा घटाने/नाम परिवर्तन(स्वामी वही)/कनेक्शन ट्रांसफर (स्वामित्व का परिवर्तन)/वर्तमान कनेक्शन शिफ्ट करने/वर्तमान कनेक्शन की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि के लिए आवेदन एवं अनुबन्ध प्रपत्र
(10 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

सहायक अभियन्ता ()

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

..... ।

1.आवेदक का नामपिता/पति का नाम.....,

2.पूरा पता

3.टेलीफोन नमोबाईल न.
ई मेल

4.कनेक्शन की श्रेणी 1. घरेलू अघरेलू (कान,कार्यालय,होटल,मन्दिर,अस्पताल,स्कूल, धर्मशाला हेतु)
3. कृषि 4 लघु उद्योग 5. मध्यम उद्योग मिश्रित भार
7. सार्वजनिक रोशनी 8.8.वृहत् उद्योग

5. आवेदक की स्थिति 1. मकान मालिक 2. किरायेदार कब्जेदार

6. आवेदक का प्रकार

(i) नया विद्युत संबंध ————— किलोवाट/हा.पा/केवीए स्थाई अस्थाई

(ii) भार वृद्धि/घटाना ————— खातासं. किलोवाट/हा.पा.सेकिलोवाट/हा.पा.
संविदा मांगकेवीए सेकेवीए

(iii)वर्तमान कनेक्शन —————खाता स.शिफ्टिंग हेतु..... से.....को

- (iv) वर्तमान कनेक्शन ———खाता सं.....का नाम परिवर्तनसे को
 (v) श्रेणी परिवर्तन ———खाता सं.के श्रेणी में परिवर्तन हेतुश्रेणी सेश्रेणी में ।
 (vi) वर्तमान कनेक्शन ———खाता सं. जो कि श्रीके नाम से है उसे.....
 का ट्रांसफरट्रांसफर करने हेतु।

7. बैंक खाते का विवरण—खाता.स. (बचत/चालू).....बैंक का नाम.एवं शाखा.....

(पासबुक के प्रथम व अन्तिम लेन-देन के पृष्ठ की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें।)

8. संलग्न दस्तावेज —एल फार्म/शपथ पत्र किरायेदार/कब्जेदार होने पर अनुबन्ध पत्र अथवा
 क्षतिपूर्ति का पत्र/ मकान मालिक होनेपर प्रमाण हेतु

दस्तावेज

(नाम/श्रेणी परिवर्तन में आवश्यकता नहीं)

पहचान प्रमाण पत्र —————

तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र (कृषि कनेक्शन के लिए)

(मुखिया का राशन कार्ड /ड्राईविंग लाइसेंस/ मतदाता का पहचान पत्र/आयकर पेन कार्ड)

9. मीटर का स्वामित्व आवेदक का जयपुर वितरण निगम का

10. मैंने इस आवेदन/ अनुबन्ध प्रपत्र के पीछे सभी शर्तें पढ एवं समझ ली है। इन सभी शर्तों में तथा "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन "(TCS)की अन्य शर्तों से मैं सहमत हूँ। इस प्रार्थना पत्र में कोई भी गलत सूचना देने पर अनुबन्ध हट सकता है ,यदि विद्युत सम्बन्ध दे दिया गया है तो इस आधार पर विद्युत सम्बन्ध काटा जा सकता है। मैं अपने विद्युत फिटिंग की स्वयं सुरक्षा एवं देखरेख करूंगा और सुरक्षा नियमों का पालन करूंगा।

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता

.....

दिनांक

कार्यालय उपयोग हेतु :- आवेदक द्वारा जमा कराई गई राशि (सहायता हेतु पीछे क्रम संख्या 1 व 2 देखें)

1. प्रार्थना पत्र शुल्क
 2. स्टाम्प ड्यूटी शुल्क
 3. मीटर बाक्स कीमत
 4. मीटर सुरक्षा राशि
 5. विद्युत उपभोग सुरक्षा राशि
 6. अग्रिम राशि
 7. अन्य
- योग.....

आवेदन भरने हेतु सहायक जानकारी

आवेदन/अनुबन्ध के क्रम संख्या 6 (i) में (आवेदित सम्बद्ध भार की गणना निम्नानुसार करें)

क्र.स.	भार का वर्णन	संख्या	वाटेज	कुल वॉटेज
1	2	3	4	5= (3x4)
1	बल्ब / फैन / लाईट प्लग(5एम्पीयर)		60 वॉट	
2	ट्यूब लाईट		40 वॉट	
3	टेलीविजन कलर / श्याम श्वेत		100 वॉट / 60 वॉट	
4	पावर प्लग(15एम्पीयर)		500 वॉट	
5	फ्रिज / कूलर		250 वॉट	
6	गीजर		1500 वॉट	
7	एयर कंडीशनर 1 टन / 1.5टन		1500 / 2200 वॉट	
		कुल योग		

- नोट :-
1. नये कनेक्शनों के अतिरिक्त अन्य आवेदनों पर प्रार्थना पत्र शुल्क देय नहीं है।
 2. भार घटाने ,वर्तमान कनेक्शन शिफ्टिंग ,कनेक्शन परिवर्तन(ट्रांसफर) हेतु (पूर्व कनेक्शन कर्ता द्वारा सहमति होने पर) सुरक्षा राशि देय नहीं है।

1. दस्तावेज संलग्न करें— परिवर्तित स्थान के स्वामित्व के दस्तावेज की प्रति ।

1. एल फार्म – परिसर में बिजली की फिटिंग विद्युत अधिनियम 2003 के अनुरूप है ,का सर्टिफिकेट लाइसेन्सधारी /मान्यता प्राप्त ठेकेदार का मान्य है।ग्रामीण क्षेत्र हेतु शपथ पत्र मान्य है।

2. आवेदक के किरायेदार / कब्जेदार होने पर संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज का प्रारूप –

मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जाते है तो अनुबन्ध पत्र संलग्न करना होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति बंध पत्र संलग्न करना होगा।

आवेदन/अनुबन्ध की शर्तें

1. मैं/हम विद्युतापूर्ति की मात्रा के मापन के लिए आवश्यक मीटर चाहता हूँ/चाहत हैं मैं/हम मेरी/हमारी परिसर पर निगम के अधिष्ठापित मीटर तथा अन्य उपस्करों को हुयी किसी भी हानि क्षति के लिए पूर्णतः उत्तरदायी हूँगा/होंगे।
2. मैं /हम आपूर्ति की प्रारम्भण तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक प्रयोजनार्थ विद्युतापूर्ति लेने के लिए वचनबद्ध हूँ/है (अस्थाई आपूर्ति के मामले में ----- अवधि के लिए) तथा अग्रेत्तर मैं/हम उस आपूर्ति के लिए समय-समय पर प्रयोज्य टैरिफ दरों से भुगतान के अतिरिक्त ऐसे समस्त प्रभारों जो की आपूर्ति निगम हेतु शर्तो एवं निबन्धनों में अन्तविष्ट प्रावधानों या किन्ही अन्य नियमों विनियमों के अनुसार मेरे/हमारे द्वारा देय होंगे , का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/है।
3. मैं/हम सहमत हूँ/है और मुझे/हमे/मेरी/हमारी परिसर पर अधिष्ठापित सर्विस लाइन या उपस्कर से किसी अन्य आवेदक को विद्युतापूर्ति के निगम के अधिकार के सम्बन्ध में किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं होगी।
4. मैं/हम निगम द्वारा सूचित प्रतिबन्धित घण्टों के दौरान विद्युत ऊर्जा का उपयोग न करने के लिये सहमत हूँ/है।
5. निबन्धन –2004 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दिये जाने के समय तक अनुबन्ध समझा जाएगा। वृहद औद्योगिक श्रेणी के लिए आवेदक से जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए निगम के साथ प्रपत्र –II में पृथक अनुबन्ध निष्पादित करेगा।
- 6 यह अनुबन्ध विद्युत की आपूर्ति हेतु शर्त एवं निबन्धन –2004 तथा समय –समय पर प्रवर्तित विद्युतापूर्ति हेतु टैरिफ , जो इस अनुबन्ध के अंग होंग, के समस्त प्रावधानों के संदर्भ में पढा व समझा जाएगा। विद्युत अधिनियम, 2003 के संबद्ध प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए नियम तथा विनियम अथवा उसमें अनुवर्ती संशोधन या आशोधन,प्रशासी प्रावधान होंगे ।

अनुबन्ध- पत्र
(10 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेनें यह(स्थान का पूर्ण विवरण)
जो कि नगर परिषद /अन्य स्थानीय निकायमें स्थित है मैसर्स/.....
श्री निवासी..... को किराये पर दे दिया है तथा उक्त भवन में विद्युत
कनेक्शन देने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस बात की गारन्टी देता हूँ कि जब भी किरायेदार ,मकान/दुकान
/खाली करेगा तो इस बात का पूरा -पूरा ध्यान रखूँगा कि निगम की राशि बकाया न रहें।
ऐसा न होने की स्थिति में मैं स्वयं निगम की बकाया रकम का देनदार रहूँगा।

हस्ताक्षर किराएदार

साक्षी (1)

हस्ताक्षर मकान मालिक

क्षतिपूर्ति बंध पत्र
(100 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर)

जैसा कि मै.....पुत्र/पत्नि श्री उम्रवर्ष निवासी.....
ने सहायक अभियन्ताज.वि.वि.नि.....के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया
है। जैसा किज.वि.वि.नि. ने उक्तस्थित मकान/दुकान.....को मेरे द्वारा अपेक्षित
विद्युत कनेक्शन के लिए मकान /दुकान की सहमति मांगी है।
जबकि मैं मकान/दुकान मालिक सहमति पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हूँ चूँकि ज.वि.वि.नि.ने इस सम्बन्ध में मुझ से
लिखित वचन चाहा है अगर मैं और मकान/दुकान मालिक के मध्य इस विद्युत कनेक्शन से सम्बन्ध में अगर किसी
न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस
कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ। अतः यह अनुबन्ध मकान
/दुकान मालिक की बिना सहमति के निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन दिये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये।
मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुए वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियों / क्षतियों एवं
खर्चों की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।

स्थान
दिनांक

साक्षी का नाम
पता

(निष्पादक के हस्ताक्षर)

शर्त - कन्ड्यूट पाईप एवं फिटिंग हेतु आवश्यक नट बोल्ट इत्यादि ,आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रमाण पत्र तहसीलदार (कृषि कनेक्शन)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /सुश्री/श्रीमति.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
श्रीजातिग्राम /शहर.....के निवासी है तथा
कुआ इसकेग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है उसके कुएे का राजस्व अभिलेख
के अनुसार ख.न.....है और खेती के कार्य उपयोग में लिया जाता है । इस कुए खेत के
मालिक स्वय ही हैं

ह. पटवारी

हल्का न.

ह. तहसीलदार

इस अनुबन्ध को "विद्युत आपूर्ति हेतु शर्तें एवं निबन्धन एवं टैरिफ फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रीसिटी के सभी प्रावधानों जो कि समय-समय पर लागू हो की विषय वस्तु में पढा एवं समझा जावे जो कि इस अनुबन्ध का ही एक भाग माना जावेगा। विद्युत अधिनियम -2003 के सुसंगत प्रावधान एवं इसके अधीन बनाये गये नियम एवं विनियम का इसके कोई पश्चातवर्ती संशोधन के प्रावधान।
